



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228128
CG-DL-E-06072021-228128

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]
No. 381]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ 15, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 471(अ).—केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981, के नियम 2 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न उपयोगों/स्थानों के लिए प्रभार योग्य प्रीमियम की पूर्व-निर्धारित दरों को निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

वर्ष 2020-21 के लिए रोहिणी फेज IV और V के संबंध में पीडीआर

तालिका संख्या 1

(रुपए/वर्गमीटर में दरें)

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें
1	2	3
	पीडीआर	16688.89
1	सीजीएचएस के लिए भूमि	25033.00
2	वैकल्पिक भूखंड	18984.00
3	रोहिणी भूखंड 26 वर्गमीटर	14811.00

	32 वर्गमीटर	18984.00
	60 वर्गमीटर	31500.00
4	डीडीए आवास योजना	
	ईडब्ल्यूएस	8344.00
	एलआईजी	12517.00
	एमआईजी	20861.00
	एसएफएस	25033.00

वर्ष 2020-21 के लिए टिकरी कलां के संबंध में पीडीआर

तालिका संख्या II

(रुपये/वर्गमीटर में दरें)

क्र. सं.	उपयोग	वर्गमीटर में भू-खंड का क्षेत्रफल	वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें
1	2	3	4
	पूर्व निर्धारित दर		16172.87
1.	वाणिज्यिक कम टर्नओवर	25.20-55.00	32351.00
2.	वाणिज्यिक कम टर्नओवर	124.00-131.75	38820.00
3.	गोदाम	300.00	38820.00
4.	लाइट इंडस्ट्री	300.00	24264.00
5.	लाइट इंडस्ट्री	495.00	28307.00

वर्ष 2020-21 के लिए नरेला के संबंध में पीडीआर

तालिका संख्या III

(रुपये/वर्गमीटर में दरें)

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित पूर्व-निर्धारित दरें
1	2	3
	पीडीआर	16798.92
	सीजीएचएस के लिए भूमि	25198.00
	वैकल्पिक भूखंड	19094.00
	डीडीए आवास योजना	
	ईडब्ल्यूएस	8399.00
	एलआईजी	12599.00
	एमआईजी	20999.00
	एसएफएस	25198.00

ये दरें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रभावी हैं।

[सं. के-20014/05/2014-डीडी.III]

वी. के. कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2021

G.S.R. 471(E).—In exercise of powers conferred by Rule 2 (i) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notifies the pre-determined rates of premium chargeable for different uses/locations for the years 2020-21 as under:-

PDR in respect of Rohini Ph IV & V for the year 2020-21**TABLE No.1****(Rates in Rs./Sqm)**

S.No.	Category of Land	Approved pre-determined rates for the year 2020-21
1	2	3
	PDR	16688.89
1	Land for CGHS	25033.00
2	Alternative Plots	18984.00
3	Rohini Plots	
	26 sqm	14811.00
	32 sqm	18984.00
	60 sqm	31500.00
4	DDA Housing Scheme	
	EWS	8344.00
	LIG	12517.00
	MIG	20861.00
	SFS	25033.00

PDR in respect of Tikri Kalan for the year 2020-21**TABLE No.II****(Rates in Rs./sqm)**

S. No.	Use	Area in Plot in sqm	Approved pre-determined rates for the year 2020-21
1	2	3	4
	Pre-determined Rate		16172.87
1.	Commercial Low Turnover	25.20-55.00	32351.00
2.	Commercial Low Turnover	124.00-131.75	38820.00
3.	Ware Housing	300.00	38820.00
4.	Light Industry	300.00	24264.00
5.	Light Industry	495.00	28307.00

PDR in respect of Narela for the year 2020-21**TABLE No.III****(Rates in Rs./Sqm)**

S.No.	Category of Land	Approved pre-determined rates for the year 2020-21
1	2	3
	PDR	16798.92
	Land for CGHS	25198.00
	Alternative Plots	19094.00
	DDA Housing Scheme	
	EWS	8399.00
	LIG	12599.00
	MIG	20999.00
	SFS	25198.00

These rates are effective for the financial year 2020-21.

[No. K-20014/05/2014-DD.III]

V. K. KUSHWAHA, Under Secy.